निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष के तहत सहायता हेतु स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर-सरकारी संगठनों का पंजीकरण

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के तहत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष की स्थापना की है ताकि निवेशकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप किया जा सके। मंत्रालय पात्र स्वैच्छिक संगठनों एवं संघों, जो निवेशक जागरूकता शिक्षा एवं संरक्षण के साथ-साथ अनुसंधान कार्यों से जुड़े हैं, को आईईपीएफ के तहत पंजीकृत होने के लिए आमंत्रित करता है। आईईपीएफ के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया तथा वित्तीय सहायता प्राप्त करने से संबंधित विवरण www.iepf.gov.in से देखा जा सकता है। जो संगठन पहले से पंजीकृत हैं या जिन्होंने पहले पंजीकरण हेतु आवेदन दिया है, दुबारा आवेदन ने दें।